,ख क्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 150/2022 बअनवान प्रेमलता बनाम श्याम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 15.02.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण व उतरदाता संख्या 01 से 05 की संयुक्त व पैतृक कब्जा काश्त की भूमि मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 782, 783, 785, 786, 787, 788, 789, 790/1002 कुल रकबा 14.01 बीघा भूमि अपीलांट के पिता मांगीलाल जी पुत्र ताराराम जाति खारवाल की खातेदारी की आई हुई है। मांगीलाल का स्वर्गवास पर अपीलांट और उतरदाता संख्या 01 से 05 प्रथम श्रेणी के वारिस बने जिनका प्रत्येक का उपरोक्त खसरो की भूमि में 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा खातेदारी में होता है। अपीलार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ वाद मय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन मातहत अदालत में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दरजावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी का रदोबदल रेस्पोडेंटस द्वारा किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 107/2022 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 को अपास्त किया जाता है हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 मूल वाद के निस्तारण तक कंफर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 15.02.2023 को सुनाया गया।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर